निर्णय बइजलास डॉ. गौरव सैनी आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

प्रकरण सं० 19/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा शाखा वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

———— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स नवीन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रो. श्री भोलू मीणा पुत्र श्री नन्दुराम मीणा ग्राम भालपुर, ठाकुर की ढाणी, पोस्ट मोहचा, तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी (राज.)

.......ऋणी

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—:आदेशः—

दिनांक 06.08.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से एडवोकेट सत्येन्द्र खोरानियां, द्वारा **The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 22/02/2022 को प्रार्थी बैक से राशि 10,00,000 (दस लाख रूपये) रू0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी मैसर्स नवीन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रो. श्री भोलू मीणा पुत्र श्री नन्दुराम मीणा ग्राम भालपुर, ठाकुर की ढाणी, पोस्ट मोहचा, तहसील वजीरपुर ने अपने फैक्ट्री/कार्यालय में वर्तमान और भविष्य का सम्पूर्ण मशीनरी, उपकरण, इलेक्ट्रीकल, इंस्टालेशन्स, फर्नीचर और फिक्चर, कार्यालय उपकरण और फर्म की अन्य चल स्थाई सम्पत्तियां एवं वर्तमान और भविष्य दोनों में सम्पूर्ण कच्चे माल अर्थात स्टॉक इन प्रोसेस, स्टोर और स्पेयर, पैंकिग सामग्री, अंतिम माल और फर्म के बुक–ऋण का दृष्टिबंधक एवं डेयरी इकाई में उपयोग किए जाने वालें सभी संयंत्र और मशीनरी का बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि व ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 11.05.2023 को **N.P.A.** (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैक को दिनांक 22/01/2024 तक राशि 10,96,618.02 (दस लाख छियानवे हजार छः सौ अठारह रूपये दो पैसे मात्र) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज व अन्य खर्चे ,लागत इत्यादि अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैक द्वारा राशि व देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैक को अप्रार्थी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 11.05.2023 को व्यतिकम डिफॉल्ट होने पर एन0पी0ए0 घोषित किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 22/01/2024 तक राशि 10,96,618.02 (दस लाख छियानवे हजार छः सौ अठारह रूपये दो पैसे मात्र) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्चे लागत इत्यादि अप्रार्थी पर बकाया निकलता है

(जिला मजिस्ट्रेट–गंगापुर सिटी (राज.) — सत्यमेव जयते) 6/8/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

गंगापुर सिटी (राज०)

गंगापुर सिटी (राज०)

जिसे भुगतान करने के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तिओं के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक में मैसर्स नवीन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रो. श्री भोलू मीणा पुत्र श्री नन्दुराम मीणा ग्राम भालपुर, ठाकुर की ढाणी, पोस्ट मोहचा, तहसील वजीरपुर ने अपने फैक्ट्री/कार्यालय में वर्तमान और भविष्य का सम्पूर्ण मशीनरी, उपकरण, इलेक्ट्रीकल, इंस्टालेशन्स, फर्नीचर और फिक्चर, कार्यालय उपकरण और फर्म की अन्य चल स्थाई सम्पत्तियां एवं वर्तमान और भविष्य दोनों में सम्पूर्ण कच्चे माल अर्थात स्टॉक इन प्रोसेस, स्टोर और स्पेयर, पैंकिग सामग्री, अंतिम माल और फर्म के बुक–ऋण का दृष्टिबंधक एवं डेयरी इकाई में उपयोग किए जाने वालें सभी संयंत्र और मशीनरी का बंधक विलेख निष्पादित किया था, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैक इस बाबत् पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, वजीरपुर को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैक, पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी व तहसीलदार, वजीरपुर को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थी को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थी को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी कम में अप्रार्थी को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायायल से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फैसल शुभार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/24

(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)